विज्ञप्ति

(धारा २० के अधीन)

संख्या दिनांक सन्

चूंकि विज्ञप्ति संख्या पुपन २४(२००)रेवे०४३-१२१८८ दिनांक २-२-५४ द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि को राजस्थान वन अधिनियम (१९५३ का अधिनियम संख्या १३) के अधीन आरक्षित वन के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

और चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधियाचनायें प्रस्तुत करने की अवधि जो निर्धारित की गई, व्यतीत हो चुकी है और समस्त प्रस्तुत अधियाचनायें, यदि हों, निपटा दी गई हैं।

और चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निपटा दी गई हैं।

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये अवास की गई समस्त भूमियां, यदि हों, अनिवार्य अवासि कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा २० द्वारा प्रदत शक्तियो के प्रयोग मे राज्य सरकार उक्त भूमी को दिनांक से प्रभाव रखते हुवे आरक्षित वन घोषित करती है जो इस प्रावधान के अधिन है कि निचे लिखे गये गाव अधिकारों की संक्षिप्त सूचि(१) मे उल्लेखित सीमा तक अधिकार रखते रहेंगे व संक्षिप्त सूचि(२) मे उल्लेखित सीमा तक ऐसे मौसमो मे उक्त वन के ऐसे भागो मे तथा ऐसे नियमो के अधिन जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जावे रिआयतो का उपभोग करेंगे.

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	पट्टी या वन-खंड	मौजा	क्षेत्रफल वन-खंड या मौजा एकड़ों में	विशेष विवरण
उदयपुर	कोटडा	मामेर पार्ट बी भाग १,२,३.	मामेर पार्ट बी भाग १		
			नाकोला	१८९.१२	सीमारेखा विवरण परिशिष्ट(अ) संलग्न है.
			हसरेटा	१२१.९४	
				३११.१६ एकड	
			मामेर पार्ट बी भाग २		
			नाकोला	७.६५	
			डेरी	७३.०१	
			बासेला	११०.४२	
			मामेर	५५.६०	
				२४६.६८एकड	
			मामेर पार्ट बी भाग ३		
			मामेर	७१.३३	
			मोरचूछा	१९.८१	
				९१.१४एकड	
			कूल योग	६४९.३८ एकड	
			अर्थात	१.०१ व०मी०	